<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/591/2013</u>

श्री लाल खान, — **शिकायतकर्ता**
भवानी नगर सिरगिट्टी,
वार्ड क्रं 07, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, — **अनावेदक**
तहसील कार्यालय,
पेंड्रा, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

<u>(आदेश पारित दिनांक : 18/09/2014)</u>

प्रकरण प्रस्तुत। यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री लाल खान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत अनावेदक जनसूचना अधिकारी, तहसील कार्यालय, पेंड्रा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि इसी प्रकरण से संबंधित एक द्वितीय अपील प्रकरण आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु लंबित है।

इस शिकायत में उन्होंने वांछित सूचना प्रदान किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत के आधार पर वांछित सूचना/जानकारी दिलाये जाने का अनुरोध कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत के आधार पर वांछित सूचना/जानकारी चाहता है जबकि अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सूचना/जानकारी प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। इसकी पृष्टि मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रकरण चीफ इन्फार्मेशन कमीशन एवं अन्य एवं मणिपुर राज्य, एवं अन्य सिविल अपील क0 10787—10788/2011 जो एस0एल0पी0 (C) नं0 32768—32769/2010 से उदभूत है, में पारित निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2011 से भी होती है। इस प्रकरण में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया है कि अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को सूचना/जानकारी दिलाये जाने का आदेश करने का अधिकार नहीं है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन दिनांक 26.9.13 के आधार पर उसे सूचना/जानकारी प्रदान करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत यदि जनसूचना अधिकारी वांछित सूचना प्रदान नहीं करते हैं तो उसके लिए अपील करने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में द्वितीय अपील भी की है तथा अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में द्वितीय अपील में ही विचार संभव है।

अतः शिकायत पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई जाती। शिकायत समाप्त कर नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/—
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त